भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
विधि कार्य विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3189
जिसका उत्तर शुक्रवार, 09 अगस्त, 2024 को दिया जाना है

ऑनलाइन विधिक सेवाओं के लिए विनियमन

3189. श्री एंटो एन्टोनीः

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वकीलों द्वारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से विज्ञापन देने और काम मांगने के संबंध में बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) द्वारा लगाए गए प्रतिबंध की वर्तमान स्थिति क्या है ;

(ख) क्या प्रतिबंध में कोई परिवर्तन किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) ऑनलाइन प्लेटफार्मों के माध्यम से वकीलों के विज्ञापन पर प्रतिबंध लगाने के लिए बीसीआई के अधिकार के विधिक आधार का ब्यौरा क्या है ;

(घ) इस मुद्दे के संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) क्या सरकार का कानूनी सेवाएं प्रदान करने वाले ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों की निगरानी के लिए विशिष्ट दिशानिर्देश या विनियमन लागू करने का इरादा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) : भारतीय विधिज्ञ परिषद् (बीसीआई) को अधिवक्ताओं द्वारा न्यायालय में, मुवक्किलों के साथ और साथी अधिवक्ताओं के प्रति बनाए रखने के लिए आचरण और वृतिक शिष्टाचार के मानकों से संबंधित नियम अधिकथित करने का अधिकार है। बीसीआई ने सूचित किया है कि अधिवक्ताओं द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विज्ञापन देना या काम मांगना बीसीआई नियम, 1975 के नियम 36 के अधीन प्रतिषिद्ध है। यह प्रतिषेध बरकरार है, बीसीआई ने हाल ही में रिट याचिका संख्या 31281 और 31428 / 2019 में माननीय मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा सुनाए गए निर्णय के आलोक में 08.07.2024 को प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से जारी किए गए निर्देशों के साथ उन्हें बनाए रखने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की।

(ख) : अपनी वर्तमान प्रेस विज्ञप्ति तारीख 08.07.2024 के अनुसार, बीसीआई ने प्रतिषेध का अतिक्रमण करने वाले अधिवक्ताओं के विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई प्रवृत करने के लिए अपने निर्देशों को रेखांकित किया है, जिसके अतर्गत सभी राज्य विधिज्ञ परिषदों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सूचना (सूचनाओं) को परिविरत और प्रविरत करने का अनुदेश देना भी है ।

(ग) : भारतीय विधिज्ञ परिषद् को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से वकीलों के विज्ञापन और याचना पर पाबंदी लगाने का प्राधिकार भारतीय विधिज्ञ परिषद् रूल्स, 1975 के नियम 36 अधीन है, जो इस प्रकार है:

"कोई भी अधिवक्ता या तो, सीधे या परोक्ष रूप से काम की याचना या विज्ञापन नहीं करेगा, चाहे वह परिपत्रों, विज्ञापनों, दलालों, व्यक्तिगत संचार, व्यक्तिगत संबंधों द्वारा वारंट न किए गए साक्षात्कारों,

समाचार पत्रों में टिप्पणियां प्रस्तुत करने या प्रेरित करने या अपने फोटोग्राफ को उन मामलों, जिनसे वह जुड़ा हुआ है या संबंधित है के संबंध में प्रकाशित करने के लिए प्रस्तुत करने के माध्यम से हो।"

यह नियम विधिक वृति की वृतिक शालीनता और सदाचार मानकों को बनाए रखने के लिए परिकल्पित किया गया है। यह किसी भी प्रकार के विज्ञापन या काम की याचना को यह सुनिश्चित करते हुए प्रतिषिद्ध करता है, कि विधिक वृति वाणिज्यिक उद्यम के बजाय एक सेवा-उन्मुख व्यवसाय बना रहे।

(घ) और (ङ) : मामला बीसीआई के अधिकार क्षेत्र में आता है और उसने यह सूचित किया गया है कि सूचनाओं को परिविरत और प्रविरत करने के निर्देश जारी करके वकीलों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से विज्ञापन और याचना करने पर पाबंदी प्रवृत करने के लिए सक्रिय कदम उठाए गए हैं । बीसीआई इन निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित के लिए राज्य बार काउंसिल के समन्वय से अनुपालन की निगरानी करता है । सरकार के प्रशासन के अधीन बीसीआई विद्यमान नियमों के प्रवर्तन और अपने निर्देशों के माध्यम से अतिक्रमणों को संबोधित करने पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखता है। नए विनियमों या मार्गदर्शक सिद्धांतों की कोई भी आवश्यकता बदलती स्थिति और विद्यमान प्रवर्तन उपायों की प्रभावशीलता पर आधारित होगी।

****